50 Years of full Statehood of Tripura

Tripura is a state in North-East India. It shares borders with Bangladesh, Mizoram and Assam. Tripura is surrounded by Bangladesh on its north, south and west. The length of its international border is 856 km (84 per cent of its total border). The state is connected with the rest of India by NH-44 that runs through Assam, Meghalaya, North Bengal, Kolkata and other parts of India.

Tripura has a long royal history. It had a pioneering role in the field of Art and Culture, Science and intellect. Tripura stepped into the modern age mainly during the reign of Maharaja Birchandra Manikya Bahadur. This was also the period when the great poet Rabindranath Tagore came in contact with Tripura.

The freedom movement of India brimmed over to the state of Tripura and the State contributed to the freedom movement. The last king of princely Tripura, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya realized that the freedom of India was not far away and it would be in the interest of the common people of the state that it should join the mainstream India. Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya, even before his death on May 17th 1947, decided to join the Indian Union. After his death, a council of Regence was formed under the leadership of queen Kanchanprabha Debi who signed the 'consent Letter' for merger on August 13th 1947. On the advice of the Government of India the council of Regency was dissolved and Kanchanprabha Debi was appointed the sole Regent. On September 9th 1949, in Delhi, the queen Kanchanprabha Debi, on behalf of her minor son Kirit Bikram Kishore Manikya, signed the Merger Agreement and on October 15th 1949 Tripura became a part of the Indian Union.

Thus ended the royal rule in Tripura and the process of democratization began from there. On January 26th 1950, Tripura was accorded the status of a 'C' category state without an assembly and put under the rule of a Chief Commissioner. To elect a member of Rajya Sabha, the first election in a democratic set-up in Tripura was held in January, 1952 and a 30-member Electoral College was formed.

Tripura was accorded the status of a union Territory on November 1st 1956. With the objective of constituting the 30-member Tripura Territorial council the second general election was held in March, 1957. As per the Territorial council Act, 1956, the Tripura Territorial council, with its 30 elected and two government nominated members, started its administrative works from August 15th 1959. In February. 1962 the third general election was held to form the Tripura Territorial council. As per the union Territory Act, on July 1st 1963 the Tripura Territorial council was transformed into the first Legislative Assembly of Tripura. Accordingly, the first cabinet of Tripura consisting of five members was formed. And the post of Chief Commissioner was upgraded to the post of Lieutenant Governor in February, 1970. On January 21, 1972, Tripura attained the status of a fullfledged state, as per the North -East Reorganization Act of 1971.

Tripura, nestled in a tip of the Northeast, flourishes on the bounties of nature but the beauty of the State is heightened by its human resources on the one hand and rich cultural tradition on the other. Folk culture of the tribal and non-tribal people of the State forms the backbone of Tripura's cultural tradition. Hoza Giri, Garia and Dhamali are the major dance forms of the State.

After the formation of new government in 2018, the government has adopted multi-pronged programme to rejuvenate the cultural heritage of tribes, ensure quality education, modern communication system, better power supply system, drinking water facility etc. as welfare activities.

Department of Posts is pleased to release a Commemorative Postage Stamp to celebrate 50 years of full Statehood of Tripura.

Credits:

Stamps/FDC/Brochure : Shri Suresh Kumar Cancellation Cachet : Smt. Nenu Gupta

Text : Based on information received

from the proponent



डाक विभाग Department of Posts



त्रिपुरा के पूर्ण राज्य के 50 वर्ष 50 Years of full Statehood of Tripura

त्रिपुरा के पूर्ण राज्य के 50 वर्ष

त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी सीमाएं बांग्लादेश, मिजोरम और असम से मिलती हैं। त्रिपुरा राज्य के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाएं हैं। इस राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 856 किलोमीटर (कुल सीमा का 84 प्रतिशत) है। यह राज्य एनएच—44 से शेष भारत से जुड़ा हुआ है। यह सड़क असम, मेघालय, उत्तरी बंगाल, कोलकाता और भारत के अन्य भागों से होकर गुजरती है।

त्रिपुरा का लंबा राजसी इतिहास है। कला और संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान क्षेत्र में इस राज्य की अग्रणी भूमिका रही है। त्रिपुरा का आधुनिक युग में प्रवेश मुख्यतः महाराजा बीरचंद्र माणिक्य बहादुर के शासनकाल के दौरान हुआ। यह वह दौर भी था, जब महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा के संपर्क में आए।

भारत का स्वतंत्रता आंदोलन त्रिपुरा राज्य में पहुंचा और यहां के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। त्रिपुरा रियासत के अंतिम राजा महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य को लगा कि भारत की स्वतंत्रता में अब अधिक समय नहीं लगेगा और राज्य की जनता के हित में यही होगा कि त्रिपुरा भारत की मुख्यधारा में शामिल हो जाए। महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य ने अपनी मृत्यु से पहले दिनांक 17 मई, 1947 को भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया। उनकी मृत्यु के बाद, रानी कंचनप्रभा देबी के नेतृत्व में एक परिषद् का गठन किया गया, जिन्होंने 13 अगस्त, 1947 को विलय के लिए 'सहमति पत्र' पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार की सलाह पर रीजेंसी की परिषद् को भंग कर दिया गया। 9 सितंबर 1949 को दिल्ली में रानी कंचनप्रभा देबी ने अपने किशोर पुत्र किरीट बिक्रम किशोर माणिक्य की ओर से विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए और 15 अक्टूबर, 1949 को त्रिपुरा भारतीय संघ का एक अंग बन गया।

इस प्रकार त्रिपुरा में राजसी शासन समाप्त हो गया और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 26 जनवरी, 1950 को, त्रिपुरा को विधानसभा रहित श्रेणी 'ग' राज्य का दर्जा दिया गया और एक मुख्य आयुक्त के शासन के अधीन रखा गया। त्रिपुरा की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहला चुनाव जनवरी, 1952 में राज्यसभा सदस्य के लिए हुआ और 30—सदस्यों वाले एक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया।

त्रिपुरा को 1 नवंबर, 1956 को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। मार्च 1957 में 30 सदस्यों वाली त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के गठन हेतु दूसरा आम चुनाव हुआ। प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, 1956 के अनुसार, त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के द्वारा 30 निर्वाचित और सरकार द्वारा मनोनीत 02 सदस्यों के साथ 15 अगस्त, 1959 से प्रशासनिक कार्य शुरू किए गए। फरवरी 1962 में त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के गठन के लिए तीसरी बार आम चुनाव हुए। केन्द्र शासित प्रदेश अधिनियम के अनुसार, 1 जुलाई, 1963 को त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् को त्रिपुरा की पहली विधान सभा में बदल दिया गया। तदनुसार पांच मंत्रियों के साथ त्रिपुरा के पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया और फरवरी 1970 में मुख्य आयुक्त के पद को उन्नत करके उपराज्यपाल कर दिया गया। 21 जनवरी, 1972 को, पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के अनुसार त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत के एक सिरे पर बसा हुआ राज्य है जो प्राकृतिक समृद्धि से परिपूर्ण है। एक ओर यहां का मानव संसाधन, तो दूसरी ओर समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा इस राज्य की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। राज्य के आदिवासी और गैर—आदिवासी लोगों की लोक संस्कृति त्रिपुरा की सांस्कृतिक परंपरा का आधार है। होज़ा गिरि, गरिया और धमाली इस राज्य के प्रमुख नृत्य हैं।

2018 में नई सरकार बनने के बाद, सरकार ने यहां की जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवंत करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, आधुनिक संचार प्रणाली, बेहतर बिजली आपूर्ति प्रणाली, पेयजल सुविधा आदि कल्याणकारी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम चलाया है।

डाक विभाग, त्रिपुरा के पूर्ण राज्य के 50 साल पूरे होने पर रमारक डाक टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार:

डाक टिकट / प्रथम दिवस आवरण / : श्री सुरेश कुमार

विवरणिका

विरूपण कैशे : श्रीमती नीनू गुप्ता

पाठ : प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई

गई सामग्री से संदर्भित

तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग : 500 पैसे

Denomination : 500 p

मुद्रित डाक-टिकटें : 305100 Stamps Printed : 305100

मुद्रण प्रक्रिया : वेट ऑफसेट Printing Process : Wet Offset

मुद्रक : प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद

Printer : Security Printing Press,

Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY3D.html

- © डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।
- © Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00